फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अर्जुन सिंघानिया बनाम पदम शंकर सिंघानियां व अन्य

केस संख्या 52 / 2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
6.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित है। अपीलान्ट ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 04 / 2021 व उनवानी पदम शंकर सिंघानियां बनाम अर्जुन सिंघानिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 के विरूद्व यह अपील पेश की है। अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने उनवानी माया देवी व अन्य बनाम विश्वेशर दयाल व अन्य में दिनांक 01.05.2023 को आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार है यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अपीलान्ट को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941 / 2021 आदेश दिनांक 01.05.2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की है। यह अपील प्रत्यर्थी के पुत्र द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नही दिये जावे तब तक पुत्र द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है।फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

अनुज सिंघानिया बनाम पदम शंकर सिंघानिया

प्रकरण संख्या 52/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
30.10.2023	**संशोधित –आदेश** अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी का कथन है कि आदेश दिनांक 16.10.2023 की पंक्ति संख्या 3 व 8 में सहवन से अनुज सिंघानिया के बजाय अर्जुन सिंघानिया टंकित हो गया । अतः आदेश दिनांक 16.10.2023 को संशोधित किये जाने के आदेश फरमावें। अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 16.10.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 की पंक्ति संख्या 3 व 8 में अुर्जन सिंघानिया के स्थान पर अनुज सिंघानिया पढा जावे। यह संशोधित आदेश पूर्व आदेश दिनांक 16.10.2023 का जुज भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner